न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 65/2024(GCMS 2024/233)

श्री मोती चौधरी पुत्र श्री हरीश चन्द्र, बी–14, छाबड़ा कॉलोनी, एसबीआई ट्रेनिंग सेन्टर के सामने, जयपुर/सागर रोड़, बीकानेर, पिन– 334001 (मोबाईल नं. 63783–16754)

बनाम

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मोती चौधरी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. Inspection of following record of district record room. Please provide date and time also your mobile no. for onward communication.
   (a) record of List of 1987 permission to sale agriculture land U/S 13(1) of the Colonization Act.
   (b) Record of record inward register from 01/01/1975 to 31/12/1990.
2. Management of destruction of records maintained at district record room Ganganagar.
   (i) Provide List of records Li[illegible] to destruction.
   (ii)Provide list regarding after how much time records [illegible] to be destroyed.
   (iii)Officer authorized to order destruction of records.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

(iv)Give information regarding class service viz. IAS/RAS/RTS or Subordinate or Ministerial.
(v)Provide the information regarding the Act, Rules, circular, notification, guideline and memorandum which empowers to destroy records maintained at the district record room Ganganagar. Please provide certified copy of act, rules circulars notification, guidelines and memorandum which to destroy records.

3. Please provide following ceiling files (both old & new law) record received by Collector Ganganagar from Revenue & Ceiling section, jaipur vide their registered with A.D letter Ref. no. F 1670/Raj/C/78/2433-34 dated 06/09/1985. Certified copy of following files completely eaach page of it.
Designated officer under old celling law, Srikaranpur, Ganaganagar
(a) Case no. 53/1970 State Vs Ramkumar s/o Harchand, 17bb padampur. decided 31/08/1970 (old celling law)
cases decided by SDM Srikaranpur, Ganganaga.
(old celling law)
(b) Case no. 838/1973 State Vs. Ramkumar s/o Harchand, 17bb, padampur decided on 28-02-1975.
(c) Case no. 837/1973 State Vs. Harchand s/o Daula ram, 17bb, padampur decided on 28/02/1975.
Collector/ ADM Ganganagar following letters to celling department Jaipur. please provide the certified copy these letters along with complete files behind these letters.
(d) Letter ref. no. F 12(1)215/celling/vigilance/78/1963 dated 13/11/1978.
(e) Letter ref. no. F12 (1)(91)/celling/vigilance/76/1968/dated 13/11/1978.
(f) Letter ref. no. F12 (1)(106)/celling/vigilance/79/4068/dated 17/06/1979.
Orders of deputy Secretary (celling), Jaipur. Please provide the certified completely file of below matintainned orders.
(g) Order no. 94/1981 State Vs Harchand s/o Daula ram, r/o 17bb, padampur order dated 09/04/1981.
(h) Order no, 74/1980 State Vs Ramkumar s/o chunni devi w/o Harchand r/o 17 bb padampur order dated 05/04/1980.
(i) order no. 91/1979 State Vs Ramkumar s/o Harchand r/o17bb padampur order dated 07/09/1979.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक जि.अभि./2024/158 दिनांक 10.10.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1	जिला अभिलेख कक्ष मे निम्नलिखित अभिलेखों का निरीक्षण कृपया दिनांक और समय तथा आगे की सूचना के लिए अपना मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराए।	आप द्वारा इस बिन्दु के संदर्भ में किसी भी कार्यालय दिवस पर उपस्थित होकर अभिलेख का निरीक्षण नियमानुसार कर सकते है।
a	उपनिवेशन अधिनियम की धारा 5 13(1) के तहत कृषि भूमि का बिक्री की 1987 की अनुमति की सूची का रिकॉर्ड	आप द्वारा चाही गई सूचना अलग से संधारित नही है इसलिए आप किसी भी कार्यालय दिवस पर उपस्थित होकर संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन कर प्रतिलिपि दी जा सके।
b	दिनांक 01/01/1975 से 31/12/1998 तक के आवक रजिस्टर का अभिलेख।	आप द्वारा चाही गई सूचना 20 वर्षो से अधिक पुराना है जिसका रिकार्ड में तलाश की जा रही है उपलब्ध हाने पर आपको सूचित कर दिया जायेगा।
2.	जिला रिकॉर्ड रूम गंगानगर में रखे गये रिकार्ड को नष्ट करने का प्रबंधन	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप मे और काल्पनिक नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है कुछ तथ्यो को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रशनों के उतर देना आपेक्षित नही है। सचूना का अधिकार नियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार आप द्वारा चाही गई सूचना, सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत देय नही है।
i	नष्ट किये जाने योग्य अभिलेखों की सूची प्रदान करे।	
ii	नष्ट किये जाने योग्य अभिलेखों की सूची प्रदान करे।	
iii	नष्ट किये जानेय योग्य अभिलेखो को नष्ट करने का आदेश देने के लिए प्रधिकृत अधिकारी	
iv	श्रेणी सेवा अर्थात आई.ए.एस./आर.ए.एस., आर.टी.एस. या अधिनस्थ या त्रिस्तरीय सेवा के बारे में जानकारी दें।	
v	अधिनियम, नियम परिपत्र अधिसूचना दिशानिर्देश और ज्ञापन के बारे में जानकारी प्रदान करें जो जिला अभिलेख कक्ष गंगानगर में रखे गए अभिलेखो को नष्ट करने का अधिकार देता है।कृपया अधिनियम, नियम, परिपत्र दिशा निर्देश और ज्ञापन की प्रमाणित प्रतिया प्रदान करे जो अभिलेखो को नष्ट करने का अधिकार देता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3	कृपया निम्नलिखित सीलिंग फाईले प्रदान करे पुराने एक नए कानून दोनो राजस्व एवं सीलिंग अनुभाग जयपुर से कलक्टर, गंगानगर को प्राप्त अभिलेख उनके पंजीकृत एडी पत्र संदर्भ संख्या एफ1670/राज/ 78/2433-34 दिनांक 06.09.1985 के अनुसार निम्नलिखित फाईलों की प्रमाणित प्रतिलिपि, अभिलेख के प्रत्येंक पृष्ठ की पूर्ण प्रतिलिपि पुराने सीलिंग कानून के तहत नामित अधिकारी श्रीकरणपुर	आप द्वारा चाहा गया रिकार्ड बिन्दु संख्या 3 के ए.बी.सी. पर अंकित पत्रावलियां इस कार्यालय के पत्रांक 645 दिनांक 04.12.1993 उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर को भिजवाई हुई है।
a	प्रकरण संख्या 53/1978 राज्य बनाम रामकुमार पुत्र हरचंद, 17 बीबी पदमपुर दिनांक 31.08.1979 (पुराना सिलिंग कानून) एस.डी.एम. श्रीकरणपुर, गंगानगर द्वारा निर्णित मामले (नया सीलिंग कानून)	
b	मामला संख्या 838/1973 राज्य बनाम रामकुमार पुत्र हरचंद, 37 बीबी पदमपुर दिनांक 28.02.1975 करे निर्णित हुआ	
c	मामला संख्या 837/1973 राज्य बनाम हरचंद पुत्र दौलाराम, 71 बीबी पदमपुर दिनांक 28.02.1975 को निर्णित हुआ।	
	कलक्टर/एडीएम गंगानगर द्वारा सीलिंग विभाग जयपुर को निम्नलिखित पत्र भेजे जाने के संबंध में कृपया इन पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां तथा इन पत्रो के पीछे की सम्पूर्ण फाइले उपलब्ध करानें का कष्ट करे।	आप द्वारा चाही गई सूचना जिला अभिलेखागार में मुताबिक जमा सूची के अनुसार जमा होना नही पाया गया है। इसलिए प्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाना संभव नही है।
d	पत्र संदर्भ संख्या एफ 12(1) 215 /सिलिंग /विजलेंस/78/1963 दिनांक 13.11.1978	
e	पत्र संदर्भ संख्या एफ 12(1)(91)/सीलिंग/ विजिलेंस/76/1968 दिनांक 13.11.1978	
f	पत्र संदर्भ संख्या एफ 12 (1)(106))/ सीलिंग/ विजिलेंस/789/4068 दिनांक 17. 06.1979	
	उपसचिव (सीलिंग) जयपुर के आदेश कृपया नीचे दिये गए आदेशों की प्रमाणित पूर्ण फाईल उपलब्ध कराए।	आप द्वारा चाही गई सूचना जिला अभिलेखागार में मुताबिक जमा सूची के अनुसार जमा होना नही पाया गया है। इसलिए प्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाना संभव नही है।
g	आदेश संख्या 94/1981 राज्य बनाम हरचंद पुत्र दौलाराम निवासी 17बीबी, पदमपुर आदेश [illegible] 09.04.1[illegible]	
h	आदेश संख्या 74/1980 [illegible] रामकुमार पुत्र [illegible] निवासी 17बीबी पदमपुर [illegible] क05.04.1980	
i	आदेश संख्या 91/1979 राज्य बनाम रामकुमार पुत्र हरचंद निवासी 17बीबी, पदमपुर आदेश दिनांक 09.10.1979	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, **कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस **पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, जिला** अभिलेखागार, **कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:14 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर